वित्त मंत्रालय

जीएसटीएन ने 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने की तैयारी का जायजा लेने के लिए जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपीज़) की एक बैठक बुलाई; सुविधा प्रदाताओं को समस्त जानकारी, अद्यतन जानकारी और दिशा निर्देशों के लिए जीएसटीएन वेबसाइट (www.gstn.org/ecosystem) पर लॉगआन करना जारी रखने की सलाह दी गई।

Posted On: 10 JUN 2017 1:28PM by PIB Delhi

जीएसटीएन यानी वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने कल राष्ट्रीय राजधानी में एरो सिटी स्थित अपने कार्यालय में जीएसटी सुविधा प्रदाताओं की बैठक बुलाई। जीएसटीएन द्वारा 34 जीएसपीज़ का चयन किया गया है, जो जीएसटी संबंधी रिटर्न दाखिल करने और अन्य अनुपालनों के लिए अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराएंगे। इन सेवा प्रदाताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर जिटल और विविध आंतरिक प्रक्रियाओं में व्यापारियों की सहायता करेंगे। बैठक की अध्यक्षता जीएसटीएन के अध्यक्ष ने की, जिन्होंने जीएसपीज़ की तैयारियों का मूल्यांकन किया। अन्य अधिकारियों के अलावा जीएसटी सुरक्षा परिषद में अपर सचिव श्री अरुण गोयल ने बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान जीएसटीएन द्वारा नए जीएसटीआर फार्मों के लिए एपीआई के अद्यतन मानदंड जारी किए जाने की समय-सीमा प्रस्तुत की गई। ये फार्म 1 जुलाई से लागू होंगे। जीएसटीएन ने सुविधा प्रदाताओं को समस्त जानकारी, अद्यतन जानकारी और दिशा निर्देशों के लिए जीएसटीएन वेबसाइट (www.gstn.org/ecosystem) पर लॉगआन करना जारी रखने की सलाह दी।

वि. कासोटिया/आर.एस.बी/पीबी

(Release ID: 1492476) Visitor Counter: 6

f







IN